

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 111/2024

उनवान

(1) देवा पिता कोईया जाति भील निवासी चौपासाग तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।

—: प्रार्थी

बनाम

(1) तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।

—: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 26.12.2024

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी एवं उसके परिवारजनों के स्वामित्व और आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 239 नया के खसरा संख्या 1426 रकबा 0.17 हे. एवं खसरा संख्या 1427 रकबा 0.08 हे. भूमि ग्राम चौपासाग पटवार हल्का चौपासाग तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा में स्थित है। उक्त खसरा संख्या में आने-जाने का एक मात्र रास्ता बिलानाम काबिल काश्त भूमि खसरा संख्या 1422 रकबा 1.85 हे. किस्म मगरी भूमि में से होकर गुजरता है। उक्त 12 फीट चौड़ाई का रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज कराने हेतु प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र पेश हुआ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्ट्रीर होकर अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी के नाम सम्मन जारी किया गया। प्रकरण भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी से रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु नियत किया जाकर रिपोर्ट पेश हुई।


प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कथन किया गया है कि पटवार हल्का चौपासाग के मौजा चौपासाग के खसरा 1426 रकबा 0.17 हे. किस्म भू. दि. (0.04 हे.), भू.प्र. (0.13 हे.) एवं खसरा संख्या 1427 रकबा 0.08 हे. भूमि किस्म भू.द्वि. (0.06 हे.), मगरी (0.02 हे.) प्रार्थी श्री देवा पिता कोईया जाति भील निवासी चौपासाग के नाम दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि में आने-जाने का एक मात्र रास्ता बिलानाम काबिलकाश्त भूमि खसरा संख्या 1422 रकबा 1.85 हे. भूमि से गुजरता है जो की 12 फीट चौड़ा एवं 90 फीट लम्बाई का होकर कुल रकबा 1080 वर्गफीट है। जिसे राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज कराने हेतु तहसील राजस्व लेखाधारी, गढ़ी की आंकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर 15540/- रुपये प्रार्थी से वसुल किया जाकर रिकार्ड में रास्ता दर्ज किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, संलग्न ग्राम चौपासाग की खाता संख्या 1 नयी, 1 पुरानी की नकल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 व नक्षा ट्रेस एवं खाता संख्या 239 नयी, 198 पुरानी की नकल जमाबन्दी संवत 1075 से 2078 व नक्षा ट्रेस तथा भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी की रिपोर्ट तथा तहसील राजस्व लेखाकार की रिपोर्ट आदि का अवलोकन कर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि प्रार्थी की खाता संख्या 239 के खसरा संख्या 1426 रकबा 0.17 हे0 एवं खसरा संख्या 1427 रकबा 0.08 हे0 भूमि में आने-जाने का एक मात्र रास्ता बिलानाम काबिलकाश्त भूमि खाता संख्या 1 के खसरा संख्या 1422 रकबा 1.85 हे. में भूमि में से होकर गुजरता है।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

अतः पटवार हल्का चौपासाग के मौजा चौपासाग की खाता संख्या 1 के खसरा संख्या 1422 रकबा 1.85 हे. में से 12 फीट चौड़ा एवं 90 फीट लम्बाई कुल रकबा 1080 वर्गफीट भूमि की वर्तमान बाजार दर अनुसार राशि रू0 15540/- (अक्षरे पन्द्रह हजार, पाँच सौ चालीस रूपये) राजस्व मद 0029 भू-राजस्व में प्रार्थी के द्वारा जमा कराये जाने पर उक्त बिलानाम काबिलकाश्त भूमि खाता संख्या 1 के खसरा संख्या 1422 रकबा 1.85 हे. में से 12 फीट चौड़ा एवं 90 फीट लम्बाई कुल रकबा 1080 वर्गफीट भूमि को किस्म-रास्ता के रूप में दर्ज करने तहसीलदार, गढ़ी को आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को सुनाया गया।


(श्रवण सिंह राठोड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बसवाड़ा